☎ (07432) 240289 240290 FAX 241603
E-mail: ccbjha@raj.nic.in

झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0,

प्रधान कार्यालय, झालरापाटन–326023

कमांक–जेकेएसबी/फा.( )नि.एवं प./2005–06/ दिनांक

"विकलांग स्वरोजगार हेतु "विश्वास योजना"

पृष्ठभूमि:

समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांगों को निर्योग्य व्यक्तियों की राजस्थान सरकार वित्तीय सहायता नियम, 1986 के अंतर्गत संयुक्त सहायता, कृत्रिम अंग/उपकरण वितरण योजना में स्वरोजगार हेतु अधिकतम रूपये 2000/– तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है, जिसके लिये पात्रता सक्षम चिकित्सक बोर्ड का 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण–पत्र होना, 18 वर्ष से अधिक आयु का होना तथा मासिक आय रूपये 1500/– से कम होना, है। इस सहायता का प्रयोजन यह है कि विकलांग व्यक्ति शारीरिक कमी को पूर्ण करने हेतु कोई अंग/उपकरण क्रय करे अथवा स्वरोजगार हेतु कोई धन्धा प्रारम्भ करे। विभाग द्वारा यह अनुभव किया गया है कि मंहगाई के इस युग में रूपये 2000 में किसी भी प्रकार का व्यवसाय/स्वरोजगार प्रारम्भ करना व उसे नियमित रखना असम्भव है।

अतएव विभाग ने उक्त संयुक्त सहायता, कृत्रिम अंग/उपकरण योजना में से विकलांगों को स्वरोजगार स्थापित किये जाने की सहायता योजना को पृथक करते हुए विकलांग स्वरोजगार हेतु सहायता योजना के निमित्त "विश्वास" नामक नवीन योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया है जिसमें विकलांगों को अधिकतम 50,000/– की लागत राशि वाले स्वरोजगार / व्यवसाय हेतु 20 प्रतिशत सब्सिडी (अनुदान) का वितरण किया जावेगा जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 10,000/– होगी।।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में निःशक्तजनों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों के लिये "विकलांग स्वरोजगार हेतु "विश्वास योजना" तैयार की गई है जो निम्नानुसार है:–

Approved copy

1. उद्देश्य:

1.1 निशक्तजनों को अति लघु उद्यम हेतु व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिये अत्यधिक सरलीकृत प्रक्रिया से सुगम वित्त उपलब्ध करवाना ताकि व्यवसाय वृद्धि के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सकें एवं वह आत्मनिर्भर बन सके । ऋण के उद्देश्यों में दैनिक उपभोग अथवा कृत्रिम अंग/ उपकरण सम्मिलित नहीं होंगे।

2. मान्य स्वरोज़गार/व्यावसायिक गतिविधियां:

1. एस.टी.डी./पी.सी.ओ.
2. इलेक्ट्रिक मोटर (बिक्री एवं सर्विस)
3. ऑटोपार्ट्स की दुकान
4. सोना/चांदी के जेवर बनाने का कार्य *
5. सोना/चांदी की प्लेटिंग का कार्य *
6. बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान
7. ढाबा/रेस्टोरेंट
8. बर्तन की दुकान
9. साईकिल की बिक्री, मरम्मत व किराये पर देना
10. टेलरिंग शॉप
11. कृत्रिम आभूषण शॉप
12. किराने/पान/फल-फूल/सब्जी की दुकान
13. खाद, बीज, दवा, कृषि उपकरणों की शॉप
14. टैण्ट हाउस
15. ड्राईक्लीनिंग/वाशिंग शॉप
16. बेकरी
17. किताब, स्टेशनरी आदि की दुकान
18. बिजली के सामान की दुकान
19. जूते चप्पल बनाना व बिक्री
20. कपड़ों की रंगाई एवं प्रिंटिंग
21. टाईप एवं इलेक्ट्रोनिक टाईपिंग
22. कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट
23. अन्य व्यवसाय जो निःशक्तजनों के लिये विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जयपुर द्वारा उपयुक्त बताये जावें।

* इस प्रकार की विशिष्ठि व्यावसायिक गतिविधियों के वित्त पोषण में केन्द्रीय सहकारी बैंक परियोजना के अप्रेजल में किसी दक्ष व्यक्ति की मदद लेंगे एवं विशेष सावधानी बरतेंगे।

3. ऋणी की पात्रता:

3.1 समाज कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी योजना के तहत सब्सिडी हेतु निम्न पात्रता मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

3.1.1 आवेदक निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अनुसार निःशक्त होना चाहिये।

3.1.2 आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।

3.1.3 आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष हो।

3.1.4 आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से आय रूपये 2000 मासिक से अधिक न हो।

3.1.5 आवेदक द्वारा पूर्व में कियोस्क योजना अथवा अन्य किसी योजना में स्वरोजगार व्यवसाय योजना के अंतर्गत सब्सिडी आदि का लाभ नहीं लिया गया हो।

3.1.6 आवेदक पर किसी भी बैंक, सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संस्था का अवधिपार ऋण बकाया नहीं हो।

3.1.7 आवेदक का विकलांगता परिचय पत्र व पासबुक बनी हुई होनी चाहिये।

3.2 केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऋण हेतु पात्रता मानदण्ड:

3.2.1 योजनांतर्गत ऋण वितरण करने हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंक राष्ट्रीय बैंक एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी ऋण वितरण पात्रता मानदण्डों के अंतर्गत ऋण वितरण की पात्रता रखता हो।

3.2.2 आवेदक संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्यक्षेत्र का निवासी होना चाहिये।

3.2.3 योजनांतर्गत निःशक्तजनों के आवेदन समाज कल्याण विभाग द्वारा तैयार करवाये जावेंगे लेकिन यदि मानसिक विमंदित व्यक्ति जो अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत अनुबंध (कान्ट्रेक्ट) करने के लिये पात्र नहीं हो, साथ ही ऐसे व्यक्ति सहकारी अधिनियम के अनुसार समिति का सदस्य बनने की पात्रता नहीं रखते हो ऐसे व्यक्ति को बैंक द्वारा ऋण प्रदान नहीं किया जा सकेगा।

3.2.4 उद्यमी जिस व्यवसाय के लिये ऋण लेना चाहता है उसे सम्पन्न करने के लिये उसमें वह प्रशिक्षित हो अथवा उसे कार्य करने का पर्याप्त अनुभव हो।

3.2.5 केन्द्रीय सहकारी बैंक को ऋण आवेदन प्राप्त होने पर ऋणी के निवास को ध्यान में रखते हुए ऋण पैक्स/अथवा बैंक शाखा के माध्यम से उपलब्ध कराया जावेगा।

3.2.6 आवेदक जिस व्यवसाय को करना चाहता है उस व्यवसाय से पर्याप्त आय जनित होने के अवसर उपलब्ध हों।

3.2.7 समाज कल्याण विभाग द्वारा चयनित उद्यमी के बारे में बैंक की स्वयं की संतुष्टि होने पर ही ऋण दिया जावेगा।

3.2.8 बैंक शाखा से ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में ऋणी को बैंक का नोमीनल सदस्य बनना आवश्यक होगा। सहकारी समिति (पैक्स) से ऋण स्वीकृति के मामले में नियमानुसार हिस्सा पूंजी ली जावेगी।

4. अनुदान एवं ऋण की सीमा :

4.1 ऋण राशि का आंकलन किये जाने वाले व्यवसाय के आधार पर किया जावेगा परन्तु अधिकतम राशि रूपये 50,000/– होगी।

4.2 परियोजना लागत का आंकलन व्यवसाय को प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक उपकरणों की खरीद पर होने वाले व्यय व प्रथम वर्ष की कार्यशील पूंजी आवश्यकता को जोड़ कर किया जावेगा। व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार उपरोक्त कुल लागत हेतु टर्म ऋण अथवा पूंजीगत लागत हेतु टर्म ऋण व कार्यशील पूंजी आवश्यकता हेतु पृथक से साख सीमा स्वीकृत की जा सकेगी।

4.3 ऋण की स्वीकृति एवं लेनदेन सहकारी बैंक की संबंधित शाखा/पैक्स के माध्यम से किया जा सकेगा।

4.4 स्वरोजगार गतिविधि/व्यवसाय करने वाले निःशक्त व्यक्ति को उद्यम की कुल लागत की 20 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में समाज कल्याण विभाग द्वारा बैंक को अग्रिम रूप से उपलब्ध कराई जावेगी जो आवेदक के नाम से बैंक में जमा रहेगी। जिसका समायोजन ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान पर किया जावेगा।

4.5 बैंक उद्यमी से 10 प्रतिशत मार्जिन मनी की प्राप्ति सुनिश्चित करते हुए कुल प्रोजेक्ट राशि का 90 प्रतिशत ऋण स्वीकृत कर सकेगा।

5. ऋण व सब्सिडी स्वीकृति की प्रकिया:

5.1 जिला अधिकारी समाज कल्याण विभाग स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही:

5.1.1 इस योजनांतर्गत आवेदन–पत्र निःशक्त व्यक्ति द्वारा अपने जिले के समाज कल्याण विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा।

5.1.2 जिला अधिकारी, समाज कल्याण विभाग द्वारा आवेदन प्राप्ति के एक सप्ताह में संलग्न प्राक्कलन/एस्टीमेट के मिलान व सत्यापन का कार्य किया जावेगा।

5.1.3 जिला अधिकारी, समाज कल्याण विभाग द्वारा सही पाये गये आवेदनों को स्वीकृति हेतु जिले की इस हेतु गठित ऋण व अनुदान स्वीकृति समिति को प्रस्तुत किया जावेगा।

5.1.4 अनुदान स्वीकृति समिति निम्नानुसार होगी–

क0सं0	नियुक्त पदाधिकारी	समिति में धारित पद
1.	जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो अति0 जिला कलेक्टर से कम स्तर का न हो।	अध्यक्ष
2.	उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग	सदस्य
3.	जिला अधिकारी, समाज कल्याण विभाग	सदस्य सचिव

5.1.5 इस समिति का गठन प्रत्येक जिला कलेक्टर द्वारा किया जावेगा तथा इसकी बैठक प्रत्येक माह के तीसरे सोमवार को आयोजित होगी। यदि तीसरे सोमवार को अवकाश होगा तो उससे अगला जो भी कार्य दिवस होगा, उस दिन आयोजित होगी।

5.2 केन्द्रीय सहकारी बैंक स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही:

5.2.1 अनुदान स्वीकृति समिति द्वारा प्रेषित स्वीकृत प्रस्ताव केन्द्रीय सहकारी बैंक स्तर पर जांचे जावेंगे जिसमें विशेषकर ऋणी की पात्रता, प्रस्तावित व्यवसाय की लाभप्रदता व ऋण की सुरक्षा से संतुष्ट होने के उपरांत ही केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा आवेदन–पत्रों के निस्तारण पर विचार किया जावेगा।

5.2.2 योजनांतर्गत प्रोजेक्ट लागत की 10 प्रतिशत राशि ऋणी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में केन्द्रीय सहकारी बैंक में जमा कराई जावेगी एवं शेष 90 प्रतिशत राशि का ऋण स्वीकृत किया जावेगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रेषित 20 प्रतिशत अनुदान राशि बैंक में जमा रहेगी।

5.2.3 ऋण राशि बैंक स्तर पर निर्धारित प्रकिया के अनुसार प्रधान कार्यालय/ शाखा स्तर पर स्वीकृत की जा सकेगी।

6. ऋण की प्रकृति:

6.1 योजनांतर्गत ऋण निवेश ऋण एवं /अथवा साख सीमा के रूप में उपलब्ध कराया जावेगा।

6.2 निवेश ऋण की अवधि गतिविधि के अनुसार राष्ट्रीय बैंक के निर्देशानुसार तय की जावेगी जो कि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। कार्यशील पूंजी हेतु साख सीमा प्रथम वर्ष ही स्वीकृत की जावेगी।

7. ब्याज दर :–

7.1 राष्ट्रीय बैंक की स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत लागू ब्याज दर मान्य रहेगी जो कि वर्तमान में 9.00 प्रतिशत है। ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक / राष्ट्रीय बैंक के निर्देशानुसार मासिक आधार पर प्रभारित किया जावेगा।

8. ऋण का पुनर्भुगतान:

8.1 ऋण व्यवसाय की प्रकृति के (मोरेटोरियम अवधि को ध्यान में रखते हुए) अनुसार ऋण की किश्तों का निर्धारण मासिक / त्रैमासिक आधार पर किया जावेगा।

9. ऋण की सुरक्षा:

9.1 ऋण की सुरक्षा के लिये सभी मामलों में ऋणी को कार्यक्षेत्र के दो प्रतिष्ठित / साख वाले व्यक्तियों की ऋण राशि एवं ब्याज के वापसी चुकारे हेतु व्यक्तिगत जमानत दिलवानी होगी जिसमें से एक सरकारी / अर्द्धसरकारी क्षेत्र में कार्यरत वेतनभोगी कर्मचारी होना आवश्यक होगा।

9.2 उपरोक्त के अतिरिक्त ऋण से सृजित समस्त सम्पत्तियों एवं व्यवसाय से जुड़ी अन्य सम्पत्तियों को बैंक / समिति के पक्ष में दृष्टिबंधक रखना होगा।

9.3 रूपये 25000 / – से अधिक ऋण के लिये ऋण राशि के बराबर की कोलेट्रल सीक्यूरिटी ली जावेगी।

10. नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण :

10.1 स्वीकृत ऋण के अंतर्गत दिये गये ऋण के उपयोग का भौतिक सत्यापन एवं नियमित निरीक्षण शाखा प्रबन्धक अथवा बैंक द्वारा इस हेतु अधिकृत मोनिटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत किया जावेगा।

10.2 ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान नियमित नहीं होने पर बैंक को सम्पूर्ण राशि तुरंत वसूल करने का अधिकार होगा।

11. दस्तावेज :

11. बैंक द्वारा निर्धारित समस्त दस्तावेज ऋणी द्वारा भरकर प्रस्तुत करने होगें।

12. पुनर्भुगतान

12.1 योजनांतर्गत राष्ट्रीय बैंक की कम्पोजिट लोन स्कीम के तहत स्वरोजगार केडिट कार्ड योजना के नियमानुसार केन्द्रीय सहकारी बैंक आवेदन प्रस्तुत करते हुए ऋण राशि का 90 प्रतिशत तक पुनर्भुगतान प्राप्त कर सकेंगे।

12.2 ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु तय की गई समयावधि में किश्तों के पोस्ट डेटेड चैक्स ऋणी से प्राप्त किये जावेंगे।

12.3 ऐसे चैक्स सहकारी बैंकों के न हों, अर्थात ऋणदाता बैंक के न होकर अन्य किसी स्थानीय बैंक के होने चाहिये।

नोट : आवेदनकर्ता का चयन, अनुदान स्वीकृति की प्रकिया आदि प्रावधान समाज कल्याण विभाग से संबंधित हैं जो कि बैंकों की जानकारी हेतु योजनांतर्गत समाहित किये गये है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों का दायित्व समाज कल्याण विभाग से चयनित आवेदकों के आवेदन–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ऋण स्वीकृति एवं तत्पश्चात् की कार्यवाही से संबंधित ही रहेगा।